शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0 प्र0, लखनऊ।

पत्रांक–सी-139/बा0वि0परि0/पी0एफ0एम0एस0/2016–17 दिनॉक: 05 मई,2016

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

निदेशालय पत्र संख्या सी–81 बा0वि0परि0/पी0एफ0एम0एस0/2016–17 दिनॉक: 29 अप्रैल,2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा जनपद में कार्यरत ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों/मिनी ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्रियो/ऑगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से कराने हेतु डाटा वेलीडेशन का कार्य 03 मई, 2016 तक अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिये गये है। साथ ही जनपदों से इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कराये जाने के निर्देश थे परन्तु इस कार्य में प्रगति नगण्य है। जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/मिनी ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्रियो/ऑगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली से किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने डिजीटल सिग्नेचर (डोंगल) के साथ जनपद के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से सम्पर्क कर जनपद में कार्यरत ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों/मिनी ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्रियो/ऑगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय के भुगतान से सम्बन्धित सूचना जैसा कि उनके **बैंक खाते के पासबुक में अंकित है यथा नाम, बैंक का नाम, आई0एफ0एस0सी0 कोड, खाता संख्या आदि का मिलान करते हुए 07 मई, 2016 तक अनिवार्य रूप से अनुमोदित/पुष्टि (validate) पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली से सम्बन्धित शासनादेश के अनुसार करना सुनिश्चित करें।**

संलग्कः यथोक्त।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन– **तत्‌दिनांक।**
प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0, शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जिला सूचना विज्ञान केन्द्र से समन्वय कराकर उपरोक्त कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक।